



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाइट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक / पंजी. नवीनी. / 2024 / 557

रायपुर, दिनांक 01/10/2024

-:: सूचना ::-

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.) में दिनांक 04 जुलाई 2002 से 30 जून 2019 तक पंजीकृत समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर का छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के धारा 21(1) में प्रदत्त शक्तियों, परिषद् की संपन्न 17वीं एवं 20वीं बैठक में लिये गये निर्णयों एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम 2023 (आचार एवं पंजीयन) की धारा 7 के परिपालन में पंजीयन का पुनरीक्षण एवं नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक निर्धारित थी।

2/- उपरोक्तानुसार पंजीकृत चिकित्सकों को परिषद् कार्यालय में उपलब्ध उनके पते पर पंजीयन नवीनीकरण की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गयी थी। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र यथा दैनिक नवभारत रायपुर दिनांक 29.06.2024 एवं दैनिक हरिभूमि बिलासपुर दिनांक 29.06.2024 तथा दैनिक भास्कर दिनांक 19.09.2024 एवं नवभारत बिलासपुर दिनांक 19.09.2024 को प्रकाशित किया गया है। तत्संबंधी सूचना परिषद् के वेबसाइट www.cgaupcb.in में भी समय-समय पर अपलोड की गयी है।

3/- उक्त के तारतम्य में सर्वसंबंधितों को सूचना है कि ऐसे आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सक जिनका पंजीयन 30 जून 2019 तक हुआ है यदि उन्होंने अद्यावधि पंजीयन पुनरीक्षण एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है वे अनिवार्यतः 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले चिकित्सकों का नाम राज्य रजिस्टर से पृथक करने एवं उन्हें जारी पंजीयन निरस्त करने के लिए यह परिषद् सक्षम होगा जिसकी जवाबदेही संबंधित चिकित्सक की होगी। पंजीयन पुनरीक्षण तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क की जानकारी परिषद् के वेबसाइट www.cgaupcb.in में उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं क्रियार्थ।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति
एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

कार्यालय – शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 – 2263165

वेबसाईट – www.cgaupcb.in, ई-मेल – registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

—:: पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन ::—

प्रति,

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा

पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चस्पा
करें।

मेरा नाम छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के अंतर्गत संधारित राज्य रजिस्टर में आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रविष्ट है। मेरा नाम उक्त रजिस्टर में जारी रखने हेतु मूल पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, नवीनीकरण आवेदन पत्र तथा 02 पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर रहा/रही हूँ :-

01. नाम (हिन्दी में)

(अंग्रेजी Block Letter में)

02. पिता/पति का नाम

03. जन्मतिथि (अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार)

दिनांक— माह— वर्ष—

04. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

क्रमांक— दिनांक—

05. वर्तमान चिकित्सा व्यवसाय का पता

(यदि शासकीय सेवा में हैं

तो पदस्थापना स्थल का पता)

06. वर्तमान निवास स्थान का पता

जिस पर पत्राचार किया जा सके

07. मोबाईल नंबर

08. आधार नंबर

09. ई-मेल

10. रक्त समूह

11. अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने

का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम

12. क्या आप किसी आपराधिक या
वृत्तिक कदाचरण के मामले में
किसी न्यायालय अथवा राज्य परिषद्
से दण्डित हुए हैं?

— हॉ/नहीं

यदि हॉ तब :—

- प्रकरण क्रमांक
- दण्ड की प्रकृति
- न्यायालय/राज्य परिषद् का नाम

13. नवीनीकरण के लिए शुल्क की जानकारी

- नगद
- बैंक ड्रॉफ्ट नंबर
- बैंक का नाम एवं शाखा
- कुल राशि रुपये

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रदान की गयी उपरोक्त समस्त जानकारी
एवं संलग्न दस्तावेज सत्य एवं प्रमाणित है।

स्थान — _____

दिनांक — _____

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

वचन-पत्र

मैं _____ पुत्र/पुत्री

निवासी _____

आयु _____

निम्नलिखित वचन पत्र रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ :-

01. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, अधिनियम 1970 के उपबंधों के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, में मेरा नाम प्रविष्ट किया गया है तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण क्रमांक _____ जारी किया गया है। मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने हेतु मैं मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि/ नवीनीकरण आवेदन पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर रहा/रही हूँ।
02. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, द्वारा मुझे आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु बिन्दु 01 में उल्लेखित अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
03. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में रजिस्टर में मेरा नाम चालू रखने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन पत्र दिनांक तक मेरे चिकित्सा व्यवसाय के संबंध में किसी भी न्यायालय, थाना, जॉच एजेंसी अथवा राज्य परिषद् आदि में कोई भी प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है।
04. यह कि मुझे किसी भी न्यायालय अथवा राज्य परिषद् द्वारा मुझे, मेरे द्वारा किए गए/किए जा रहे चिकित्सा व्यवसाय अथवा अन्य किसी भी प्रकरण के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा अन्य विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया है।
05. यह कि मेरे द्वारा यह वचन पत्र छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

वचन पत्र की कण्डिका 01 से 05 में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है।

वचनग्रहिता का नाम एवं हस्ताक्षर



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

—:: पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क विवरण ::—

आवश्यक दस्तावेज :-

01. आवेदन पत्र
02. पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
03. आधार कार्ड का स्वप्रमाणित छायाप्रति,
04. नवीनतम 02 पासपोर्ट साईज फोटो,
05. शपथ पत्र,
06. डिमांड ड्रॉफ्ट "CG AYUR, UNANI PRAKRI, CHIKITSA" के नाम से स्वीकार किए जाएंगे।

अथवा

नगद शुल्क की रसीद

नवीनीकरण शुल्क	— 1500 /—
विलंब शुल्क	— 1000 /—
कुल राशि	— 2500 /—

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी,
प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.)
